न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़
(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

प्र.सं. 01 / 2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 3

शारा सिंह पुत्र पठाना सिंह जाति रायसिख निवासी 11 पी पतरोड़ा तहसील व जिला अनूपगढ़ राज0
–अपीलार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़
–प्रत्यर्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 25.10.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा जरिए अधिवक्ता श्री हरेन्द्र सिंह सेखों धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी का धारा 6, सूचना का अधिकार के तहत लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ द्वारा खारिज करने के निर्णय से व्यथित होकर यह प्रथम अपील प्रस्तुत की हैं। अपील दर्ज की जाकर अधिनस्थ कार्यालय लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ से अपील पत्र के संबंध में टिप्पणी व संबंधित रिकार्ड तलब किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता को सुना गया। अपीलार्थी अधिवक्ता कथन किया कि चक 11 पी तहसील अनूपगढ़ के मु.नं. 17 में भूमि अपीलार्थी व अपीलार्थी की पत्नी के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। उक्त भूमि में से भारतमाला सड़क परियोजना के अन्तर्गत कुछ रकबा अवाप्त किया गया हैं के रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि व अवार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन उपखण्ड अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी अनूपगढ़ के समक्ष दिनांक 16.06.2023 को प्रस्तुत किया था। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अपने निर्णय में यह अंकित करते हुए खारिज किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ की परिधी में सूचना के अन्तर्गत प्रश्नों का उत्तर दिया जाना संभावित नहीं हैं तथा अधिनियम की धारा 6(1)(बी) के अन्तर्गत चाही गयी सूचना में विशिष्टियां अंकित करना अपेक्षित हैं। सामग्री से निष्कर्ष निकालकर तथ्यों को खोजकर आवेदक को उपलब्ध करवाए जाने की अध्यापेक्षा लोक सूचना अधिकारी से नहीं की जा सकती हैं। परन्तु धारा 2 एफ की परिभाषा अनुसार लोक सूचना अधिकारी के पंहुच की सूचना आवेदक को दिया जाना आज्ञात्मक हैं। प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन में स्पष्ट रूप से वांछित सूचना संबंधित विशिष्टियों को अंकित किया हैं। अतः लोक सूचना अधिकारी द्वारा पारित निर्णय खारिज योग्य हैं। अपीलार्थी को वांछित सूचना प्रमाणित प्रतिलिपि दिये जाने हेतु लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ को आदेशित करने के लिए निवेदन किया।

मैंने अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन में पाया कि अपीलार्थी ने दिनांक 16.06.2023 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी अनूपगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नलिखित सूचना दिये जाने हेतु निवेदन किया कि –

"चक 11 पी पतरोड़ा तह. अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर [illegible] 160 / 25 का मु.नं. 17 की भूमि जो भारतमाला सड़क परियोजना में अवाप्ति की [illegible] उ[illegible] अवाप्ति की गयी भूमि कितने मीटर अवाप्त की गयी के रिकार्ड [illegible] पतरोड़ा तह. अनूपगढ़ में बनी भारतमाला सड़क के अवार्ड की [illegible]"

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:24:37 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी आवेदक के उक्त आवेदन पत्र के संबंध में राज्य लो[illegible]सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ के द्वारा पत्रांक 790 दिनांक 17.07.2023 के द्वारा आवेदन खारिज करते हुए आवेदक को निम्नलिखित सूचना प्रेषित की गयी कि –

"आप द्वारा किये गये आवेदन दिनांक 16.06.2023 में वांछित सूचना विशिष्टिविहीन व प्रश्न के उत्तर में चाही गई हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) की परिधि में सूचना के अन्तर्गत प्रश्नों के उत्तर दिया जाना सम्मिलित नहीं हैं। अधिनियम की धारा

जिला कलक्टर अनूपगढ़

(बी)के अनुसार चाही गई सूचना में विशिष्टियां अंकित करना अपेक्षित हैं। अधिनियमानुसार सामग्री से निष्कर्ष निकाल कर तथ्यों को खोजकर आवेदक को उपलब्ध करवाने की अध्यापेक्षा लोक सूचना अधिकारी से नहीं की जा सकती हैं। फलतः आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किया गया आवेदन खारिज किया जाता हैं।"

अपील प्रकरण के संबंध में अधिनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़(प्रत्यर्थी) से वांछित टिप्पणी पत्र क्रमांक/आरटीआई/2023/642 दिनांक 13.09.2023 के द्वारा प्राप्त हुई। **प्रस्तुत प्रतिवेदन में लोक सूचना अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया हैं कि आवेदक द्वारा वांछित सूचना** विशिष्टिविहीन **एवं प्रश्नात्मक प्रकार की होने के कारण आवेदक द्वारा किया गया आवेदन खारिज किया गया हैं, अपील अपीलार्थी खारिज करने के लिए निवेदन किया हैं।**

उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का विश्लेषण करने के उपरान्त न्यायालय का यह निष्कर्ष हैं कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में चक 11 पी अनूपगढ़ के मु.नं. 17 में भारतमाला सड़क परियोजना में अवाप्त की गयी भूमि के रिकार्ड की प्रमाणित प्रति व चक 11 पी पतरोडा तह. अनूपगढ़ में बनी भारत माला सड़क के अवार्ड की प्रमाणित प्रति चाही गयी थी। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।

परन्तु प्रत्यर्थी को चाहिए था कि वे आवेदक द्वारा वांछित रिकार्ड एवं भारतमाला सड़क परियोजना से संबंधित अवार्ड की प्रतिलिपि आवेदक को उसी रूप में उपलब्ध कराते जिस रूप में उनके पास उपलब्ध हैं। यदि सूचना कार्यालय/लोक प्राधिकरण में उपलब्ध नहीं है, तो इससे भी आवेदक को सूचित किया जाना चाहिए था। अतः अपील स्वीकार कर लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार कर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ को निर्देशित किया जाता हैं कि वे निर्णय की प्राप्ति के एक माह के भीतर आवेदक द्वारा वांछित सूचना कार्यालय/लोक प्राधिकरण में जिस स्वरूप में उपलब्ध हो (आवेदक से प्रतिलिपि शुल्क यदि कोई हो तो जमा करवाते हुए) आवेदक को प्रदान करें। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 25.10.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:24:37 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
अनूपगढ़